संख्या–158 /पचासी–2010–10(परती भूमि)/08टीसी

प्रेषक,

राम सजन,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भूमित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 मार्च, 2010

विषयः–उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के अस्थायी पदों की वर्ष 2010–11 हेतु निरन्तरता की स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्र संख्या–1ए/437/94/III phase/815, दिनांक 07.2.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–89/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008, दिनांक 2.9.2008 (वरिष्ठ प्रबन्धक विपणन/सहभागिता के 02 पदों को छोड़कर) 09 पद, शासनादेश संख्या–158/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008 दिनांक 17.10.2008 (वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण के 01 पद को छोड़कर) 03 पद, शासनादेश सं0–174/पचासी–2009–10(परती भूमि)/2008टीसी–क दिनांक 20.5.09 द्वारा सृजित 761 पद व शासनादेश संख्या–129/पचासी–2009–10(परती भूमि)/2008 दिनांक 25.5.09 द्वारा 01 पद (कुल 774 पद) सृजित किये गये हैं।

3– उपर्युक्त शासनादेशों में से शासनादेश संख्या–89/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008, दिनांक 2.9.2008 व शासनादेश संख्या–158/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008 दिनांक 17.10.2008 द्वारा सृजित क्रमशः 11 व 04 अस्थायी पदों की वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु निरन्तरता शासनादेश संख्या–78/पचासी–परती–09–10(परती भूमि)/2008 टीसी, दिनांक 16.2.2009 द्वारा जारी की गयी है।

4– अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–89/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008,दिनांक 2.9.2008

क्रमशः

(वरिष्ठ प्रबन्धक विपणन/सहभागिता के 02 पदों कोछोड़कर) 09 पद, शासनादेश संख्या–158/पचासी–2008–10(परती भूमि)/2008 दिनांक – 17.10.2008 (वरिष्ठ प्रबन्धक, पर्यावरण के 01 पद को छोड़कर) 03 पद, शासनादेश संख्या–174/पचासी–2009–10(परती भूमि)/ 2008टीसी–क दिनांक 20.5.09 द्वारा सृजित 761 पद व शासनादेश संख्या–129/ पचासी–2009– 10(परती भूमि)/2008 दिनांक 25.5.09 द्वारा 01 पद (कुल 774 पद) कुल 774 पदों को वित्तीय वर्ष 2010–11(दिनांक 01.03.2010 से दिनांक 28.2.2011तक) में यदि इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निरन्तर चलते रहने एवं उन पर होने वाले व्यय को वहन करने को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) पदों का सृजन अथवा प्रतिनियुक्ति केवल योजना अवधि के लिये है, प्रतिनियुक्ति पर लेने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इन पदों को किसी अन्य शासनादेश द्वारा निरस्त तो नहीं किया गया है।

(2) पैतृक विभाग जहॉ से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा, वहॉ प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप हुई रिक्तियों पर पैतृक विभाग द्वारा कोई तैनाती नहीं की जायेगी और पद आस्थगित रखा जायगा जब तक कि कर्मचारी निगम में प्रतिनियुक्ति पर रहता है।

(3) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के उपलब्ध न होने पर उन्हें संविदा से भरा जायेगा। संविदा के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कार्मिक विभाग/वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रतिनियुक्ति सुसंगत शासकीय नियमों, आदेशों तथा जारी प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन की जायेगी तथा परियोजना के समाप्त होने के साथ ही पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

3– यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1–2–877/दस–92–24(87)/92, दिनांक 17.11.92 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सजन)
उप सचिव।

पृष्ठ–3

158(1)

संख्या– / पचासी–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
(4) प्रमुख सचिव, सिंचाई / नियोजन / ग्राम्य विकास / कृषि / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा(भूगर्भ जल) एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम सजन)
उप सचिव।